सर्वोच्च न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के निर्णय पर अंतरिम रोक लगाने से किया इनकार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के उस निर्णय पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें बिहार में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग **और अत्यंत पिछड़ा वर्ग** के लिये **लोक नियोजन** तथा **शैक्षणिक संस्थानों** में **आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65%** करने के निर्णय को रद्द कर दिया गया था।

मुख्य बिंदु

- पटना उच्च न्यायालय ने **बिहार में संशोधित** आरक्षण कानून को रद्द कर दिया, जिसके तहत **दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के लिये कोटा 50% से बढ़ाकर 65%** कर दिया गया था। न्यायालय ने संशोधनों को **संविधान के "**अधिकारातीत**" (Ultra Vires), "विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण" (Bad in Law) और "समता खंड का उल्लंघन"** करार दिया।
    - ये संशोधन एक **जाति सर्वेक्षण** के बाद किये गए थे, जिसमें **अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत** राज्य की **कुल जनसंख्या का 63%** था जबकि **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 21%** से अधिक था।
- **आरक्षण** कोटा **बढ़ाए जाने के बाद**, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिये आरक्षण सहित **राज्य में कुल 75% सीटें आरक्षित हुईं।**

आरक्षण

- आरक्षण**, निश्चयात्मक विभेद का एक रूप** है, जिसे **हाशियाई वर्गों में समता को बढ़ावा देने** और उन्हें सामाजिक तथा दीर्घकालिक अन्याय से संरक्षण प्रदान करने के लिये निरूपित किया गया है।
- यह **रोज़गार और शिक्षा तक पहुँच** में समाज के **हाशियाई वर्गों को अधिमानी सुविधा** प्रदान करता है।
- इसे मूल रूप से वर्षों जारी भेदभाव को समाप्त करने और वंचित समूहों को बढ़ावा देने के लिये विकसित किया गया था।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/sc-declines-interim-stay-of-patna-h-decision